भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1642

13 दिसंबर, 2023 के लिए प्रश्न

मालदीव को चीनी का निर्यात

1642. श्री के. सुधाकरन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी निदेशालय को भारत सरकार और मालदीव सरकार के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए डीजीएफटी अधिसूचना 44/205-2020 के अनुसार मालदीव को निर्यात की जाने वाली चीनी की मात्रा की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चीनी निदेशालय ने वित्त वर्ष 2023-24 में मालदीव को चीनी के निर्यात की अनुमति दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी मात्रा की अनुमति दी गई है और किस निर्यातक ने सरकार की अनुमति प्राप्त की है;

(घ) क्या सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतर्गत निर्यात की जाने वाली चीनी का कोटा समाप्त कर दिया है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने कोटे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त भंडार के रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) : सरकार ने विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना सं. 14/2015-2020 दिनांक 12.07.2021 के जरिए भारत और मालदीव के द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए) अधिसूचित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अंडे, आलू, प्याज़, चावल, गेहूं का आटा, चीनी, दाल, स्टोन एग्रीगेट्स और नदी की रेत के निर्यात की अनुमति दी गई है।

.....2/-

(ख) से (ड.): मालदीव को चीनी के निर्यात के लिए विदेश मंत्रालय से खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को चीनी मौसम 2023-24 में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, मालदीव को अप्रैल-2023 से सितम्बर 2023 तक के दौरान, 0.03 टन चीनी की मात्रा का निर्यात किया गया है।

(च) : घरेलू उपभोग हेतु किफायती मूल्य पर चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 4 और 5 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के प्रावधानों के तहत चीनी मिलों के लिए स्टॉक होल्डिंग सीमा मासिक आधार पर जारी की जा रही है।

इसके अलावा, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की दिनांक 18.10.2023 की अधिसूचना सं. 36/2023 के माध्यम से चीनी (कच्ची/सफेद/रिफाइंड/ऑर्गेनिक) के निर्यात को अगले आदेश तक 'प्रतिबंधित' श्रेणी में रखा गया है। सरकार ने दिनांक 7 दिसंबर, 2023 के आदेश के तहत इथेनॉल के उत्पादन हेतु गन्ने के जूस/सिरप और बी-हैवी शीरे के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है।

****